

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 4

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत शत-प्रतिशत कम्पोनेट एवं अनावर्ती मद हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 5 से 7

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹8,433.84 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 84,33,84,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्यशीर्ष 2216

मद क्रमांक 8

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु केन्द्रांश राशि के रूप में ₹27,352.80 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹2,73,52,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु राज्यांश राशि के रूप में ₹18,235.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,82,35,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

मद क्रमांक 10

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदाय किए जाने हेतु ₹3,000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 11

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु ₹480.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 4,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12 से 20 तक

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 14,400.48 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 1,44,00,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 21

धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजनांतर्गत राशि ₹ 45,600.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,56,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री योजनान्तर्गत केन्द्रांश हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

केन्द्र प्रवर्तित नेशनल मिशन ऑन एगोफारेस्ट्री योजनान्तर्गत राज्यांश हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403**मद क्रमांक 24**

छत्तीसगढ़ कुक्कुटपालन प्रोत्साहन योजना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 12.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2425**मद क्रमांक 25**

रेशम पालन एवं मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹200 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801**मद क्रमांक 26**

पॉवर कंपनी के ऋण का टेकओवर (ऋण अदायगियां) हेतु ₹ 484.776 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,84,77,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27

5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान योजना अंतर्गत ₹13,476.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,34,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202**मद क्रमांक 28**

शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210**मद क्रमांक 29 से 30**

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु ₹1,095.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,95,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215**मद क्रमांक 31**

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹39,360.00 लाख का अतिरिक्त राज्यांश व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹3,93,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।